रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 1996/आश्विन 1, 1918
No. 530] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 1996/ASVINA 1, 1918

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1996

का. आ. 648(अ).—भारत सरकार द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जो भारत में कतिपय कीटनाशियों उदाहरणतया एल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर और क्लोरडेन के निरंतर प्रयोग की जांच करें जिनके प्रयोग को मानव और पशुओं के लिए अन्तर्वलित ऐसे जोखिम जिनके कारण तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक अथवा समीचीन हो गया था अन्य देशों में पाबंदी लगा दी गई थी;

केन्द्रीय सरकार ने उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सम्यकत: विचार किया और उसका यह समाधान हो गया कि एल्ड्रिन, क्लोरडेन और हेप्टाक्लोर का प्रयोग जारी रखने में मानव तथा पशुओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम होने की संभावना है;

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 138 (अ), तारीख 17-2-1992 द्वारा एल्ड्रिन पर 1-1-1994 से और क्लोरडेन तथा हैप्टाक्लोर दोनों के उपयोग पर 17-2-1992 से पाबंदी लगा दी गई थी;

मैसर्स पेस्टीसाइड्स इण्डिया लिमिटेड ने उक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने 17-3-1993 को यह निर्णय दिया था कि उक्त अधिसूचना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किए बिना तथा रजिस्ट्रीकरण धारकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही जारी की गई थी तथा उक्त अधिसूचना को यह निदेश देते हुए मन्सूख कर दिया था कि याचिकों तथा हेप्टाक्लोर और क्लोरोडेन कीटनाशियों के अन्य रजिस्ट्रीकरण धारकों को सुनवाई दिए जाने का अवसर देने के बाद भारत में इन दोनों कीटनाशियों की बिक्री, उत्पादन, विनिर्मिति या आयात पर पूर्व पाबंदी लगाने के मामले पर पुनर्विचार किया जाए;

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्यक पालन करने के उद्देश्य से उक्त याचियों और अन्य रजिस्ट्रीकरण धारकों को पर्याप्त अवसर दिया था और उद्योग रजिस्ट्रीकरण धारकों के साथ कई बैठकें करने तथा अन्त: मंत्रालयी बैठक में विचार-विमर्श के बाद उक्त समिति ने भारत सरकार को कुछ सिफारिशें की थीं;

केन्द्रीय सरकार ने रजिस्ट्रीकरण समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तथा यह समाधान हो जाने के बाद कि एल्ड्रिन, क्लोरडेन और हेप्टाक्लोर के प्रयोग से मानव तथा पशुओं को जोखिम की सम्भावना है, निम्नलिखित आदेश जारी करती है अर्थात् :—

1. भारत में हेप्टाक्लोर और क्लोरडेन का विनिर्माण आयात और प्रयोग तत्काल प्रभावी रूप से प्रतिषिद्ध होगी;

2. उक्त कीटनाशियों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन विभिन्न व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द समझे जाएंगे और अनुज्ञापन अधिकारियों द्वारा उनको विनिर्माण के लिए जारी की गई अनुज्ञप्तियां भी रद्द समझी जाएंगी;

3. भारत में एल्ड्रिन का प्रयोग प्रतिषिद्ध होगा और उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द समझा जाएगा।

[फा. सं. 17-5/93-पी.पी.-I]
आई. एस. मल्ही, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
NOTIFICATION
New Delhi, 20th September, 1996

S. O. 648(E).—Whereas the Government of India had set up an Expert Committee, under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), with a view to investigate the continued use of certain insecticides i.e. Aldrin, Heptachlor and Chlordane in India, which were banned in other countries because of involved risks to human beings and animals, as to render it expedient or necessary to take immediate action;

And whereas the Central Government duly considered the recommendations made by the said Committee and was satisfied that the continued use of Aldrin, Chlordane and Heptachlor is likely to involve health hazards to human beings and animals;

And whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968, a notification was issued by the Government of India under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) vide number S. O. 138(E), dated 17-2-1992, banning the Aldrin with effect from 1-1-1994 and banning the use of both Chlordane and Heptachlor with effect from 17-2-1992;

And wheresas M/s. Pesticides India Limited filed a writ petition challenging the said notification in High Court of Rajasthan and the said High Court gave judgement on 17-3-1993 that the said notification was issued without following the principles of natural justice and without affording an opportunity of being heard to the registration holders and quashed the said notification with a direction to reconsider the matter as regards total ban on sale, production, formulation or import of Heptachlor and Chlordane in India after affording an opportunity of hearing to the petitioners and other registration holders of these two insecticides;

And whereas the Registration Committee constituted under section 5 of the Insecticides Act, 1968, in order to give due compliance to the order of the Honourable High Court, gave adequate opportunity to the said petitioners and other registration holders and also after convening several meetings with the industry, registration holders and deliberations in an inter-Ministerial meeting, the said Committee made certain recommendations to the Government of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government, after considering the recommendation of the Registration Committee, and on being satisfied that the use of Aldrin, Chlordane and Heptachlor is likely to cause risk to human beings and animals, hereby makes the following order, namely :—

(1) the manufacture, import and use of Heptachlor and Chlordane shall be prohibited in India with immediate effect;

(2) the certificate of registration issued by the Registration Committee to various persons under section 9 of the said insecticides shall stand cancelled and the validity of the manufacturing licences issued to them by the Licencing Officer shall also stand cancelled;

(3) the use of Aldrin shall be prohibited in India and the certificate of registration issued under the said Act shall stand cancelled.

[File No. 17-5/93-PP.I]
I. S. MALHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996